

भारत सरकार के पदों में नियुक्ति के लिए आवेदित अन्य पिछड़ी जातियों के द्वारा प्रदेय प्रमाण पत्र का प्रारूप :

प्रमाणित किया जाता है कि _____
आत्मज _____ गाँव _____ जिला प्रभाग
_____ राज्य _____ समुदाय का है जो निम्नांकित के
अधीन पिछड़ी जाति के रूप में मान्य है।

* (1) भारत सरकार कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/68/93-पि.वर्ग.जा. (जा) दिनांक 10.09.1993 भारतीय राजपत्र असाधारण भाग 1, अनुच्छेद 1 दिनांक 13.09.1993 में प्रकाशित और

* (2) भारत सरकार कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/9/94-पि.वर्ग.जा. (जा) दिनांक 19.10.1994 भारतीय राजपत्र असाधारण भाग 1, अनुच्छेद 1 संख्या 163 दिनांक 20.10.1994 में प्रकाशित

* (3) भारत सरकार कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/7/95-पि.वर्ग.जा. (जा) दिनांक 24.05.1995 भारतीय राजपत्र असाधारण भाग 1, अनुच्छेद 1 संख्या 88 दिनांक 25.05.1995

* (4) भारत सरकार कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/44/96-पि.वर्ग.जा. (जा) दिनांक 06.12.1996 भारतीय राजपत्र असाधारण भाग 1, अनुच्छेद 1 संख्या 210 दिनांक 11.12.1996

श्री _____ और उनका परिवार साधारणतः राज्य के _____ जिले/प्रभाग में निवास करता है/करते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह या उन व्यक्तियों/भागों (क्रीमीलेयर) का नहीं है जिसका जिक्र स्तंभ 3 सूची, भारत सरकार कार्मिक व प्रशिक्षण ओम.एम. नं. 36012/22/93 संस्थापन (अ.व.जा.) दिनांक 08.09.1993 में हुआ है।

जिला न्यायधीश
उप आयुक्त

दिनांक :

मुहर

* जो लागू नहीं है काट दें।

ध्यान दें (अ) यहां प्रयुक्त साधारणतः शब्द का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 20 में निहित है।

(आ) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के सक्षम प्राधिकारी निम्नांकित है :

(1) जिला न्यायधीश/उप मण्डल न्यायधीश/समाहर्ता/उप आयुक्त/अपर उप आयुक्त/उप समाहर्ता/प्रथम श्रेणी स्टैंपेंडरी न्यायधीश /उप मण्डल न्यायधीश/तालुका न्यायधीश/कार्यपालक न्यायधीश/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टैंपेंडरी न्यायधीश रैंक से कम नहीं)

(2) मुख्य अध्यक्षीय न्यायधीश/अपर मुख्य अध्यक्षीय न्यायधीश/अध्यक्षीय न्यायधीश

(3) तहसीलदार रैंक से कम न रहने वाले राजस्व अधिकारी

(4) अभ्यर्थी या उसके परिवार रहने के क्षेत्र के उप मण्डल अधिकारी